भारत सरकार
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं *156
(दिनांक 16.12.2013 को उत्तर दिए जाने के लिए)

बिहार में निर्मल–ग्राम

*156.डा॰ अनिल कुमार साहनी:

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी गांव को निर्मल ग्राम के रूप में घोषित किये जाने के मापदंड क्या हैं; और

(ख) अब तक बिहार में 'निर्मल ग्राम' के रूप में घोषित किए गए गांवों की संख्या कितनी है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री भरतसिंह सोलंकी)

(क) से (ख) विवरण, सदन के पटल पर रखा गया है।

दिनांक 16.12.2013 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *156 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) संशोधित निर्मल ग्राम पुरस्कार (एनजीपी) के दिशा–निर्देशों के अनुसार, ग्राम पंचायतें निर्मल ग्राम पुरस्कार (एनजीपी) के लिए आवेदन की पात्र हैं, बशर्ते वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हों:–

- ग्राम पंचायत ने सभी बसावटों एवं गांवों सहित अपने समस्त क्षेत्र में खुले में शौच पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव पास किया हो।
- ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी बसावटों को पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी प्रयोजनों के लिए जल की सुविधा उपलब्ध हो।
- ग्राम पंचायत ने निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अन्तर्गत जिला परियोजना में यथा अनुमोदित सभी घटकों के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया हो तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमओडीडब्लूएस) के आईएमआईएस में उपलब्धियों को दर्ज किया हो।

आवेदन पत्र की प्राप्ति पर निम्नलिखित गतिविधियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की उपलब्धियों की जाँच भी की जाती है:

- व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) का कवरेज
- स्कूली स्वच्छता का कवरेज
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के दिशा–निर्देशों के अनुसार, पर्याप्त जल की उपलब्धता
- सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण के अन्तर्गत गतिविधियां
- ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्धन के अन्तर्गत गतिविधियां
- तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्धन के अन्तर्गत गतिविधियां

(ख) बिहार में अभी तक 217 ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार (एनजीपी) प्रदान किए गए हैं। एनजीपी के दिशा–निर्देशों के अनुसार, राज्यों को उचित अनुवीक्षण द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कार से पुरस्कृत ग्राम पंचायतों की निरंतरता को बनाए रखना सुनिश्चित करना है। राज्यों को जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्लूएसएम) के जरिए आकस्मिक जांच करनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राम पंचायतें अपना एनजीपी का दर्जा कायम रख सकें।

******